मध्य प्रदेश शासन,
पशुपालन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक /941/ गौ/ सं./ बोर्ड.   भोपाल, दिनांक 26/07/2019

प्रति,

1.समस्त कमिश्नर
2.समस्त कलेक्टर
3.समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषयः– **"गौशाला परियोजना"** अंतर्गत भूसे दाने के अनुदान के संबंध में दिशा निर्देश।

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में निराश्रित गौवंश की देख–रेख की उचित व्यवस्था के लिये **"गौशाला परियोजना"** प्रारंभ की गई है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रथम चरण में 100 गौवंश की क्षमता की लगभग 1000 गौशालाऐं निर्मित की जा रही हैं। परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 124/348/2019/प.–1/22 भोपाल, दिनांक 06.02.2019 के माध्यम से दिशा निर्देश प्रसारित किए गए है। उक्त निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 14 के अनुसार चारा भूसा अनुदान के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए जाते है :–

1. गौशाला निर्माण के साथ–साथ उनके संचालन के लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी होंगी।

2. गौशाला का संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। गौशाला के साथ–साथ परियोजना अंतर्गत चारागाह विकास कार्यक्रम भी सम्मिलित होगा। यदि गौशाला, किसी महिला स्वसहायता समूह/स्वयंसेवी संस्था (गौशाला प्रबंधन एजेंसी) के द्वारा संचालित की जाती है तो ग्राम पंचायत एवं गौशाला प्रबंधन एजेंसी के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। ग्राम पंचायत/गौशाला प्रबंधन एजेंसी द्वारा गौशाला का पंजीयन म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में कराया जाना होगा।

3. परियोजना में चारे भूसे हेतु प्रति गौवंश प्रति दिवस रू. 20/– के अनुदान का प्रावधान किया गया है, जो बजट की उपलब्धता अनुसार प्रदाय किया जाएगा। यह अनुदान बड़े गौवंश (एक वर्ष से अधिक) की संख्या के आधार पर दिया जाएगा।

4. संबंधित ग्राम पंचायत, गौवंश की गणना से प्रतिमाह पशुपालन विभाग के स्थानीय अधिकारी को अवगत कराएगी जिसका भौतिक सत्यापन निकटस्थ पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी द्वारा प्रतिमाह किया जाएगा। पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी माह मार्च, जून, सितंबर एवं दिसंबर की गणना से उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें को अवगत कराऐंगे।

5. उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें (सचिव, समन्वय समिति) उपरोक्त बिन्दु 4 के अनुसार मैदानी अमले से गौशालावार गौवंश की संख्या प्राप्त कर, समन्वय समिति के अनुमोदन उपरांत, म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को प्रेषित करेंगे।

6. जिलों से प्राप्त गौशालावार गौवंश संख्या व बजट की उपलब्धता अनुसार गौवंश के चारे भूसे हेतु म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, राशि उपलब्ध कराएगा। यह राशि जिला पंचायत के माध्यम से पंच परमेश्वर पोर्टल के द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाएगी।

7. गौशालाओं का संचालन महिला स्वसहायता समूह/स्वयंसेवी संस्था द्वारा किए जाने पर गौशाला के अनुश्रवण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। ग्राम पंचायत, गौशाला प्रबंधन एजेंसी को चारा भूसा हेतु अनुदान राशि प्रदाय करेगी। अनुदान राशि प्रदाय करने के पूर्व ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि गौशाला का रखरखाव व प्रबंधन सुचारू हो व ग्राम पंचायत गौशाला संचालन एजेंसी से विगत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगी।

8. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 7 के अनुसार ग्राम पंचायत उपयोगिता प्रमाण की एक छायाप्रति निकटस्थ पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी को जमा करेगी, जिसे उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को उपलब्ध कराऐंगे।

9. ग्राम पंचायत गौशाला के आय–व्यय का मदवार ब्यौरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंच परमेश्वर पोर्टल में नियमानुसार दर्ज करेंगी/कराएगी।

10. सचिव, समन्वय समिति गौशालाओं को प्रदाय अनुदान के ब्यौरे से, समन्वय समिति को अवगत कराऐंगे।

11. ग्राम पंचायत एवं गौशाला प्रबंधन एजेंसी के मध्य किसी भी विवाद का समाधान क्रियान्वयन समिति एवं उसके उपरांत समन्वय समिति द्वारा किया जाएगा।

12. ग्राम पंचायत/गौशाला प्रबंधन एजेंसी क्षमता अनुसार माह अप्रेल–मई में अधिक से अधिक मात्रा में भूसा क्रय कर उसका भण्डारण करेगी। भूसे का भण्डारण ऐसी रीति से किया जाए,जिससे वह गीला न हो और न ही उसमे नमी आ सके।

13. गौशालाओं के गौवंश को आहार में प्रमुख रुप से गेहूँ का भूसा, सूखा चारा, हरी घास या हरा चारा (मक्का, ज्वार, बरसीम इत्यादि) दिया जाए। प्रत्येक गौशाला के साथ मनरेगा अंतर्गत एक चारागाह को संलग्न किया गया है। इस चारागाह में हरी घास जैसे हाइब्रीड नेपीयर, अंजन घास, मख्खन घास इत्यादि भूमि की गुणवत्ता अनुसार लगाई जा सकती है। इस चारागाह के कुछ हिस्से में हरा चारा जैसे मक्का, बाजरा, बरसीम इत्यादि लगाया जाए। हरी घास व चारे का चक्र इस प्रकार बनाया जाना चाहिए, जिससे ग्रीष्म ऋतु में भी हरा चारा उपलब्ध हो सके।

14. परियोजना अंतर्गत चारागाह विकास के संबंध में तकनीकि मार्गदर्शन संबंधित जिले के उपसंचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा दिया जाएगा। चारागाह हेतु आवश्यक रूट स्लिप, बीज या अन्य आदान की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व कृषि विभाग का होगा। उपसंचालक, कृषि विभाग जिले के प्रत्येक चारागाह हेतु विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। हरे चारे व घास की विभिन्न किस्मों का चयन जिले की भौगोलिक परिस्थिति, पानी की उपलब्धता व भूमि की उपयुक्तता के अनुसार किया जाए।

15. ग्राम पंचायत/गौशाला प्रबंधन एजेंसी, गौशाला में निर्मित समस्त प्रकार के गौ उत्पादों को विपणन कर सकेगी, जिसका लेखा रखा जाना होगा।

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पशु पालन विभाग

पृ.क्र. /942 to 951/ गौ.सं. बोर्ड भोपाल, दिनांक 26/07/2019

प्रतिलिपि :–

1. मान. मुख्यमंत्रीजी, म.प्र.शासन के प्रमुख सचिव।
2. निज सचिव, समस्त मान. मंत्री/राज्यमंत्री,म.प्र.शासन, म.प्र.।
3. श्री इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव,/चेयरमेन, राजस्व मण्डल, म.प्र.शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, सा.प्र.वि./गृह/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/वन/राजस्व/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/उर्जा/किसान कल्याण एवं कृषि विकास/उद्यानिकी।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आजीविका मिशन, म.प्र.भोपाल
7. आयुक्त, मनरेगा, म.प्र., भोपाल।
8. संचालक, पंचायतराज संचालनालय, म.प्र.भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सहकारी दुग्ध फेडरेशन।
10. संचालक, पशु पालन, मध्यप्रदेश।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पशु पालन विभाग